<u>न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>दाण्डिक प्र0क0—157 / 2006</u> <u>संस्थित दिनांक—31.08.2000</u> <u>F.N.-234503000072000</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

<u>!! विरुद्ध !!</u>

- 1. सुनील पिता इशुलाल वराड़े, उम्र—55 साल, निवासी आबकारी टोला बेहर जिला बालाघाट,
- 2.गुलाबदास पिता हेमराज पनका, उम्र—28 साल, निवासी ग्राम झारा थाना बैहर जिला बालाघाट (पूर्व से निर्णित)
- 3. नेमीचंद उर्फ पप्पू पिता कन्हैयालाल गढ़ेवाल, उम्र—26 साल, निवासी आबकारी टोला बैहर जिला बालाघाट (पूर्व से निर्णित)

.....आरोपीगण

!! निर्णय !! (आज दिनांक 09/05/2018 को घोषित किया गया)

- 01. उपरोक्त नामांकित आरोपी सुनील पर 17 एवं 18 जून, 2000 की दरमियानी रात टाउनिशपा मलाजखंड से चोरी हुए मोटर सायिकल क्रमांक एम. पी.22.वाय.0360 को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से क्रय करने और अपने आधिपत्य में रखने, इस प्रकार धारा—411 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।
- 02. प्रकरण में में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकरण के शेष आरोपी गुलाबदास एवं नेमीचंद के विरूद्ध दिनांक 22 जुलाई, 2002 को निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त दोनों आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी इंद्रकुमार बघेल मलाजखंड ताम्र परियोजना में वर्ष 1980 से नौकरी करते थे और

शासकीय आवास बी—टाईप बी—1—198 में उपर की मंजिल में रहते थे। घटना दिनांक 17.06.2000 को शाम 4:00 बजे फरियादी ड्यूटी से वापास आकर अपने घर के पास मोटर सायिकल कमांक एम.पी.22वाय.0360 को खड़ी कर दिया था। सुबह 5:50 बजे पड़ौसी भालेराव ने ड्यूटी पर जाते समय फरियादी की मोटर सायिकल को नहीं देखा और फरियादी को मोटर सायिकल के बारे में सूचना दिया। घटना दिनांक की रात को अज्ञात चोर फरियादी की मोटर सायिकल को चोरी कर ले गया था। फरियादी ने मोटर सायिकल की आस—पास में तलाश की, नहीं मिलने पर थाना मलाजखंड में घटना की रिपोर्ट किया, जिससे थाना मलाजखंड के अपराध कमांक 52/2000 अंतर्गत धारा—379, 380 भा.द.वि. का पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शा—मौका तैयार किया गया, साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया, आरोपीगण का मेमोरेन्डम कथन लेखबद्ध किया गया एवं मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपीगण से सायिकल जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

- 04. आरोपी सुनील ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा—313 द०प्र०स० में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि—
 1.क्या आरोपी सुनील ने 17 एवं 18 जून, 2000 की दरिमयानी रात टाउनिशपा मलाजखंड से चोरी हुए मोटर सायिकल क्रमांक एम.पी.22. वाय. 0360 को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से क्य करने और अपने आधिपत्य में रखा ?

दाण्डिक प्र0क0-157 / 2006

ः निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न कमांक-01

- 06. इंद्रकुमार अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता हैं। घटना डेढ़ वर्ष पूर्व की है। उसके बरामदें से उसकी राजदूत मोटर सायिकल कमांक एम.पी.22वाय.0360 को कोई चोर चोरी कर ले गया था। मोटर सायिकल किसने चुराया था उसे पता नहीं चला था। उसने थाना मलाजखंड में प्र.पी.01 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। वाहन करीब तीन माह बाद उसे थाना मलाजखंड से मिल गई थी। पुलिस ने सुपुर्दनामा प्र.पी.03 तैयार किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपना वाहन चोरी हो जाना बताया है, जिसे प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे घटना दिनांक को फरियादी की मोटर सायिकल चोरी होना प्रमाणित है।
- 07. अनिल अ.सा.02 ने बताया है कि वह फरियादी इंद्रकुमार को जानता है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इंद्रकुमार की मोटर सायकिल चोरी हुई थी। चोरी किसने की थी उसे जानकारी नहीं है। उसने इंद्रकुमार को सूचना दी थी। बाद में पुलिस वालों ने इंद्रकुमार को मोटर सायकिल मिलने की सूचना दी थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी फरियादी इंद्रकुमार की मोटर सायकिल चोरी होने के बारे में बताया है।
- 08. फरियादी इंद्रकुमार ने बताया है कि अज्ञात चोर मोटर सायकिल चोरी किया था। मोटर सायकिल किसने चोरी किया था, उसे पता नहीं चला था। अनिल कुमार अ.सा.02 ने भी बताया है कि मोटर सायकिल किसने चोरी की थी, उसे जानकारी नहीं हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 भी अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कराई गई है। इस प्रकार प्रकरण में आरोपी को चोरी करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।
- 09. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या चुराई गई संपत्ति आरोपी सुनील से जप्त की गई है। जप्ती के साक्षी सोनूदास अ.सा.03 ने

बताया है कि उसके सामने सुनील से कोई जप्ती नहीं हुई थी। इस साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के तथ्यों से इंकार किया है तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पढ़कर सुनाये जाने पर अपने समक्ष आरोपी सुनील से मोटर सायिकल जप्त होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। जप्ती के दूसरे साक्षी सुरेश सोनी अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी सुनील से पुलिस ने कोई सामान जप्त नहीं किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी नेमीचंद ने पुलिस को यह बताया था कि गुलाबदास से पांच हजार रुपये में मोटर सायिकल खरीदकर सुनील गढ़ेवाल को बेच दिया है तथा इससे भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुनील से पुरानी राजदूत मोटर सायिकल कमांक एम.पी.22वाय.0360 को जप्त किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी आरोपी सुनील से मोटर सायिकल जप्त किये जाने से इंकार किया है तथा जप्ती के दोनों महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही है।

- 10. निशार मोहम्मद अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी गुलाबदास को जानता है। मोटर सायकिल थाना में जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके सामने आरोपी गुलाब खड़ा था और थाने में एक गाड़ी खड़ी थी, किन्तु गाड़ी कौन सी थी उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी आरोपी सुनील से कोई मोटर सायकिल जप्त नहीं होना बताया है। जाहीद मोहम्मद अ. सा.06 ने बताया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी गुलाबदास ने भी कोई मेमोरेन्डम नहीं दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी गुलाबदास ने चोरी की मोटर सायकिल राजदूत को सुनील गढ़ेवाल को बेचना बताया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 11. इस प्रकरण में फरियादी की मोटर सायकिल राजदूत क्रमांक एम. पी.33.वाय.0360 चोरी होना प्रमाणित है, किन्तु प्रकरण में मोटर सायकिल चोरी करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। साक्षियों के कथन

से यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि आरोपी नेमीचंद एवं गुलाबदास ने आरोपी सुनील को चुराई गई मोटर सायिकल विकय किया था। प्रकरण में जप्ती के दोनों स्वतंत्र साक्षी सोनूदास अ.सा.03 तथा सुरेश सोनी अ.सा.05 पूर्णतः पक्षद्रोही है। उक्त दोनों साक्षियों ने आरोपी से पुलिस द्वारा अपने समक्ष मोटर सायिकल जप्त किये जाने की घटना से इंकार किया है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी सुनील द्वारा चुराई गई मोटर सायिकल जानते हुए मोटर सायिकल को अपने आधिपत्य में रखकर चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की घटना प्रमाणित नहीं होती है, जिससे संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। इस सबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007(3) म.प्र.लॉ.ज.372 म.प्र. अवलोकनीय है।

- 12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुनील ने 17 एवं 18 जून, 2000 की दरमियानी रात टाउनिशपा मलाजखंड से चोरी हुए मोटर सायिकल कमांक एम.पी.22.वाय.0360 को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से क्य करने और अपने आधिपत्य में रखा। फलतः आरोपी सुनील को धारा—411 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 13. आरोपी सुनील के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है।
- 14. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा—428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी सुनील दिनांक 27.07.2000 से दिनांक 31.08.2000 तक, दिनांक 31.03.2006 से दिनांक 07.04.2006 तक, दिनांक 20.04.2006 से दिनांक 08.05.2007, दिनांक

25.05.2014 से दिनांक 12.06.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मोटर सायिकल राजदूत कमांक एम.

पी.22.वाय.0360 सुपुर्ददार इंद्रकुमार पिता फूलिसंह बघेल, निवासी मलाजखंड थाना मलाजखंड जिला बालाघाट की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अपील अविध पश्चात अपील न होने पर सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। "मेरे निर्देश पर टंकित किया"

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र. सही / –
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

